संख्या-44/ 2021 /1422 ई-2/तेरह-2021-1416949

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 09 अगस्त, 2021

विषय- मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड(आसवनी इकाई), ग्राम बरकतपुर, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 450 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 525 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी20/दो-प्रा.डी.-76/उत्तम, दिनांक 26-07-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-07-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त आबकारी आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड (आसवनी इकाई),ग्राम बरकतपुर, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर की 150 कि.ली .प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 300 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 450 लाख ली .वार्षिक से बढ़ाकर 525 लाख ली .वार्षिक किये जाने तथा 262.5 लाख लीटर वार्षिक तक ई.एन.ए .तथा 525 लाख लीटर वार्षिक तक रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन किए जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 30-06-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं कन्सेन्ट आर्डर संख्या दिनांक 13-04-2021 द्वारा निर्गत वायु सहमति में उल्लिखित शर्तों तथा इन्सीनरेशन ब्वायलर से जीरो डिस्चार्ज करते हुए समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन पूर्णत: सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।